

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 154/14

निर्णय दिनांक 11-10-12

खिराज पुत्र श्री गिरधारी जाति कुम्हार निवासी 22 एनपीआर (किशनपुरा) तहसील
व जिला हनुमानगढ़

-अपीलांट

-बनाम-

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 29.07.1999
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थित:

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 29-07-1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु चक नम्बर 20 बीएलडी के मुर्ब्बा नम्बर 216/62 बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को भूमि आवंटन हेतु सबूतों व 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित आने का नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। अतः सलाहकार समिति की राय से आवेदन खारिज किया जाता है। जबकि अपीलांट 35 प्रतिशत राशि पहले जमा कराने को तैयार रहा है तथा आज भी है। अपीलांट को आवंटित भूमि आज भी रकबाराज है तथा आवंटन कायम है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश

निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट से 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर आदेश जारी किया जावे। पत्रावली में कहीं भी नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29-07-1999 के विरुद्ध अपील दिनांक 21-07-14 को पेश की है। जो करीब 15 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।


5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अपीलांट ने चक नम्बर 20 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 216/62 बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को क्रमांक 12713 दिनांक 23-7-1999 द्वारा इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि दिनांक 29-7-1999 को 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित हों ताकि सबूतों की जांच की जाकर निलामी द्वारा भूमि आवंटन कर 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर आवंटन आदेश जारी किया जा सके। अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना निर्धारित समयावधि में न तो स्वयं उपस्थित आया ना ही 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। चूंकि अपीलांट ने आवंटन शर्तों की पालना समयावधि में नहीं की इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 29-07-1999 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11-10-17 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 29/07/1999
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

- 1. श्री विद्या अग्रवाल, अधिभाषक अपीलान्त
- 2. श्री नन्दलाल कासनिवा, राजस्व अपिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलान्त ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29-07-1999 विरुद्ध द्वारा अपीलान्त को विद्या अग्रवाल का प्रधान पत्र 35 प्रतिगत सति जमा नहीं करने के कारण खारिज किया गया है, कि विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्व अपिभाषक (इलाहाबाद) से शून्यकोष मुनि का आवंटन एवं विकल्प) नियम 1978 के नियम 23 में अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

- 2. विद्या अग्रवाल समक्ष पत्र 35 जमा नहीं किया गया।
- 3. विद्या अग्रवाल अधिभाषक अपीलान्त ने अपनी पक्ष में बताया कि अपीलान्त ने विद्या अग्रवाल में आवंटन हेतु बैंक नम्बर 20 बीकानेर की सुरक्षा नम्बर 216/82 वरिष्ठ निर्देश आवंटन में आवंटन किये जाने हेतु प्रधान पत्र आवंटन अधिकारी के लक्ष्य पत्र किया। अधिभाषक राजस्व अपीलान्त को प्रधान पत्र 35 जमा करने का आदेश कर दिया गया कि अभी तक अभी आवंटन हेतु बैंक नम्बर 20 प्रतिगत सति सति उपस्थित जाने की नोटिस जारी किया गया। अभी राजस्व अपिभाषक के उपस्थित नहीं किया। जब सहायक समिति को पत्र से आवंटन खारिज किया जाता है। जबकि अपीलान्त 35 प्रतिगत सति पहले जमा करने का ऐव्यर रहा है तथा अपीलान्त को आवंटन मुनि आज भी रकबागत है तथा आवंटन कायम है। जब अपीलान्त को अपील स्वीकार की जाने एवं अपीलान्त का आदेश